| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | दिनांक....13.:.8.:22<br>आज सम्बन्धित न्यायालय से पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत/लोक अदालतमे पेश [illegible] वादी [illegible] वादी अनुपस्थित। अभियुक्त व अभियु[illegible] की अनुपस्थित। पत्रावली मे कोई कार्यवा[illegible] पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय को नियत पे[illegible] से पूर्व 20.9.22 भेजी जावे।<br>सदस्य तालुक विधिक सेवा समिति<br>अध्यक्ष तालुक विधिक सेवा समिति |
| 20/9/22 | पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। पूर्व आदेश की पालना में *अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक* 4.11.22 को पेश हो। |
| 4.11.22 | पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 8.11.22 को पेश हो। बी.काउंसलिंग कैम्प, देई |
| 8.11.22 | पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 9.11.22 को पेश हो। |
| 9-11-22 | पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप० है। तहसीलदार नैनवां से जवाब प्राप्त हो चुका है। पत्रावली वास्ते अवलोकन हेतु दिनांक 2-12-22 को पेश हो। |
| 2-12-22 | पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप० है। पैरोकार सरकार उपस्थित है। वकील प्रार्थी ने [illegible] में वर्णित तथ्यों [illegible] में निवेदन किया कि पत्थरगढ़ी [illegible] आदेश फरमाने की कृपा करें। तहसीलदार नैनवां ने अपनी रिपोर्ट |

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.06.19 13:15:33 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | दिनांक 2.11.22 में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी खसरा सं. 1338, 538, ~~2976~~ 542, 628 कुल किता 4 कुल रकबा 5.1938 हेक्टे. प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी खसरा सं. 538 रकबा 2.2976 हेक्टे० की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है जिसके मेड़ के सम्बन्ध में विवाद है।<br>हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज, तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। बहस वकील प्रार्थी में दिये गए तर्कों पर मनन किया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है जिनका विधिवत् विभाजन अभी तक नहीं हुआ है। विभाजन से पूर्व संयुक्त खातेदारी के हिस्से में प्रत्येक सहखातेदार का इंच-इंच जमीन पर अधिकार होता है अतः विभाजन से पूर्व किसी एक विशेष हिस्से पर पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायालय उचित नहीं समझता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढ़ी खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>नैनवां (बूंदी) | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.06.19 13:15:33 IST
Reason: SelfAttested